पत्रांक BRLPS-LSBA/Estt/07/16/300 दिनांक 17/07/2018

प्रेषक,

बालामुरुगन डी०, भा०प्र०से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **आई०ई०सी० गतिविधि के अंतर्गत दिनांक 16 जुलाई से 15 अगस्त तक 'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार' नाम से विशेष स्वचछता अभियान चलाए जाने के संबंध में।**

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत राज्य को मार्च 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए टोला, वार्ड, समुदाय, ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय आधारित संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम, क्षमतावर्द्धन के साथ सूचना, शिक्षा और संचार की गतिविधियां जिलों में संचालित की जा रही हैं। इस क्रम में गतिविधियों के स्थायित्व और विभिन्न विभागों की सहभागिता से राज्य के लक्ष्य में अपेक्षित प्रगति के दृष्टिकोण से दिनांक 16 जुलाई से 15 अगस्त 2018 तक **'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार'** नाम से विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। उल्लेखनीय है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, पंचायती राज आदि विभागों के प्रभावी समन्वय से स्वच्छता के प्रति व्यवहार परिवर्तन के कार्यक्रम को विशेष बल मिलेगा। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता जागरूकता के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ए०एन०एम०, टोला सेवक, रोजगार सेवक, स्वयं सहायता समूह, पंचायत जनप्रतिनिधि आदि के साथ सामुदायिक उत्प्रेरण अत्यंत प्रभावी होंगे।

उक्त के आलोक में **'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार'** कार्यक्रम के दौरान किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त तिथियों में बरसात एवं स्थानीय स्थितियों के आलोक में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता

है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में होने वाले नियमानुसार व्यय का समायोजन स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के आई०ई०सी० मद में किया जाना है।

विश्वासभाजन

14/07/18

(बालामुरुगन डी०)

अनुलग्नक: यथोक्त।

ज्ञापांक: BRDS-LCBA/EtH/07/16/300 दिनांक: 17.07.18

प्रतिलिपि : सभी जिला समन्वयक, सभी जिला सलाहकार जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला स्वच्छ भारत प्रेरक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक ग्रा०वि०अभि०-सह-सदस्य सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त–सह-उपाध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

14/07/18

(बालामुरुगन डी०)

'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार' की रूपरेखा (16 जुलाई से 15 अगस्त)

क्र०सं०	गतिविधि का स्तर	कार्यक्रम का नाम	शुभारम्भ/कार्यक्रम की तिथि
		प्रथम चरण- 16 से 24 जुलाई	
1	जिला स्तरीय गतिविधि	एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का शुभारंभ एवं स्वच्छता शपथ समारोह	21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
2	जिला स्तरीय गतिविधि	ग्राम पंचायत गोद लेकर 'मॉडल ग्राम पंचायत' बनाने का अभियान- "मेरा पंचायत मॉडल पंचायत"	21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
3	जिला स्तरीय गतिविधि	स्वच्छता जागरूकता रैली	21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
4	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	प्रखंड स्तरीय कार्यशाला	21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
5	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	प्रखंड स्तरीय रैली एवं शपथ ग्रहण समारोह	21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
6	ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधि	ग्राम स्तरीय जागरूकता रैली	दो रैली प्रति सप्ताह
		द्वितीय चरण: 25 से 29 जुलाई	
7	जिला स्तरीय गतिविधि	जिला स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान	25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
8	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	प्रखंड स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान	25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन
9	ग्राम स्तरीय गतिविधि	ग्राम पंचायत स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान	25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन शुभारम्भ
		तृतीय चरण: 30 जुलाई से 15 अगस्त	
10	जिला स्तरीय गतिविधि	स्वच्छता रथ का संचालन	30 या 31 जुलाई को शुभारम्भ, परिचालन 15 अगस्त तक
11	जिला स्तरीय गतिविधि	'पर्याप्त स्वच्छाग्रही/राजमिस्त्री अभियान'	30 या 31 जुलाई को शुभारम्भ
12	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	'पर्याप्त स्वच्छाग्रही/राजमिस्त्री अभियान'	30 या 31 जुलाई को शुभारम्भ
13	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	हर प्रखंड कार्यालय पर वॉर रूम	अभियान के दौरान पूर्ण किया जाना है
14	प्रखंड स्तरीय गतिविधि	प्रखंड कार्यालय पर मॉडल शौचालय	अभियान के दौरान पूर्ण किया जाना है
15	स्वच्छता सेनानी सम्मान समारोह	स्वतंत्रता दिवस पर स्वच्छता चैंपियन को सम्मानित किये जाने का कार्यक्रम	15 अगस्त

नोट: विशेष जानकारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश देखें।

'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार' अभियान की रूपरेखा (16 जुलाई से 15 अगस्त)
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान (LSBA) के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को 2 मार्च 2019 तक 'खुले में शौच मुक्त' बनाने का संकल्प लिया गया है। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन के प्रति जन-जागरण को बल प्रदान करने हेतु विभिन्न विभागों के अभिसरण (Convergence) से व्यापक पैमाने पर 16 जुलाई से 15 अगस्त 2018 तक 'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार' कार्यक्रम सभी जिलों में संचालित किया जाना है। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार द्वारा 16 जुलाई को इस अभियान का शुभारम्भ किया गया। इस अभियान अंतर्गत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान से जुड़े कर्मी/पदाधिकारी द्वारा अन्य विभागों के कर्मी /पदाधिकारी के साथ समन्वय एवं अभिसरण कर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, उसकी उपयोगिता एवं संपूर्ण स्वच्छता को लेकर समुदाय को उत्प्रेरित किया जाना है। इस अभियान में सहयोगी संस्थाओं, एनजीओ, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवियों आदि से सहयोग लेकर कार्यक्रम को व्यापक बनाया जाना है। कार्यक्रम का विवरण निम्न है।

प्रथम चरण- 16 से 24 जुलाई

1: **जिला स्तरीय गतिविधि**

(क) **एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यशाला का शुभारंभ एवं स्वच्छता शपथ समारोह : 21 से 24 जुलाई** के दौरान किसी एक दिन जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय स्वच्छता संबंधी उन्मुखीकरण सह कार्यशाला (One Day Orientation Cum Workshop) का शुभारंभ किया जाना है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि, पंचायत राज आदि विभागों के जिला एवं प्रखंड स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सहयोगी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं आदि शामिल होंगे। इसमें **'मिलकर बनाएंगे स्वच्छ बिहार'** कार्यक्रम की रूपरेखा, स्वचछता, शौचालय निर्माण की आवश्यकता एवं उपयोग के स्थायित्व एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, ताकि वे समुदायों को शौचालय निर्माण के प्रति उत्प्रेरित कर सकें। इसी कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी हर विभाग के कर्मियों को निर्देश देंगे कि जिनके घर में शौचालय नहीं है, अभियान की अवधि में निर्माण पूर्ण करा लें। कार्याशाला में आईईसी सामग्री का वितरण एवं स्वच्छता संबंधी ऑडियो-विजुअल सामग्री का प्रदर्शन किया जाना है। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को स्वच्छता शपथ दिलाया जाएगा।

(ख) **ग्राम पंचायत गोद लेकर 'मॉडल ग्राम पंचायत' बनाने का अभियान- "मेरा पंचायत मॉडल पंचायत"**-इसके अंतर्गत लोहिया स्वचछ बिहार अभियान से जुड़े सभी अधिकारी/सलाहकार/कर्मी द्वारा एक-एक ग्राम पंचायत को गोद लेकर उन्हें मॉडल ग्राम पंचायत बनाकर उन्हें खुले में शौच मुक्त बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, विकास खंड अधिकारी, जिला व प्रखंड स्तरीय अधिकारियों/कर्मियों को निम्न कवरेज वाले एक-एक ग्राम पंचायत गोद लेकर उन्हें खुले में शौचमुक्त (ODF) कराए जाने की जिम्मेदारी देंगे। 21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन उपरोक्त प्रस्तावित एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा।

पूर्व में की जाने वाली तैयारी- ग्राम पंचायतवार गोद लेने वाले पदाधिकारी/कर्मी की सूची पूर्व ही तैयार कर ली जाएगी, इस कार्यक्रम में सूची की घोषणा जिलाधिकारी करेंगे।

(ग) गोद लिए ग्राम पंचायत में पदाधिकारी/कर्मी द्वारा किए जाने कार्यों की सूची :

(1) संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दीवार चित्रण (Wall Painting)।

मानक: संबंधित ग्राम पंचायात में प्रति गांव दो गड्ढे वाले जलबंध शौचालय के निर्माण तकनीक (Toilet Technology) पर केंद्रित दो एवं व्यवहार परिवर्तन (Behavior Change) पर आधारित न्यूनतम दो वॉल पेंटिंग। अधिकतम आवश्यकतानुसार।

(2) शौचालय निर्माण तकनीक से आमजन को अवगत कराने के लिए प्रदर्शन हेतु ग्राम पंचायत भवन /आंगनबाड़ी केंद्र /स्कूल प्रांगण में दो गड्ढे वाले जलबंध **मॉडल शौचालय** का निर्माण।

(3) प्रति गांव न्यूनतम एक-एक प्रशिक्षत स्वच्छाग्रही की तैनानी सुनिश्चित की जानी है। अगर स्वच्छाग्रही की तैनाती नहीं की गई है या स्वच्छाग्रही अक्रिय हैं तो प्रखंड स्तर पर उसका चयन, प्रशिक्षण एवं तैनाती सुनिश्चित की जानी है।

(4) पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्री का प्रशिक्षण एवं उनसे कार्य लिया जाना।

(5)CLTS/IPC/BCC एवं दैनिक मॉर्निंग-इवनिंग फालो अप

(6) गोद लेने वाले पदधिकारी /कर्मी दवारा संबंधित ग्राम में ओडीएफ के लिए रणनीति का निर्माण करना, संसाधन प्रबंधन, सतत भ्रमण, समुदायों की बैठक लेना, फालोअप, रात्रि चौपाल, निगरानी आदि गतिविधि की जानी है।

(घ) **स्वच्छता जागरूकता रैली :** 21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन जिला मुख्यालय पर जिलास्तरीय स्वच्छता रैली का आयोजन किया जाएगा, इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मी, एनजीओ, स्वयंसेवी, जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्र-छात्राएं, एनसीसी कैडेट, एनएसएस स्वयंसेवी आदि भाग लेंगे।

2. **प्रखंड स्तरीय गतिविधि**

प्रखंड स्तरीय कार्यशाला: 21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन प्रखंड कार्यालय पर विकास खंड अधिकारी की अध्यक्षता में एक दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण का आयोजन किया जाएगा। इसमें ब्लॉक स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि, पंचायत राज आदि विभागों के अधिकारी/कर्मी, जनप्रतिनिधि, सहयोगी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं प्रबुद्ध नागरिक, सहयोगी संस्थाएं, आशा, आंगनबाडी कार्यकर्ता, जीविका दीदी, जनप्रतिनिधि आदि भाग लेंगे। कार्यक्रम में स्वच्छता शपथ लेंगे।

प्रखंड स्तरीय रैली एवं शपथ ग्रहण समारोह: 21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन प्रखण्ड मुख्यालय पर प्रखण्ड मुख्यालय पर भी प्रखण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शपथ ग्रहण एवं रैली निकाली जाएगी। इसमें प्रखंड स्तरीय विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मी, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी,एन०सी०सी० कैडेट, एन०जी०ओ०, विकास मित्र, किसान मित्र, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवकप्रबुद्ध नागरिक, स्कूली छात्र-छात्राएं एवं अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3. **ग्राम पंचायत स्तरीय गतिविधि**

- **ग्राम स्तरीय जागरूकता रैली:** 21 से 24 जुलाई के दौरान किसी एक दिन इसका शुभारंभ किया जाना है। गांव-गांव स्कूलों में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित कर रैली निकाली जाएगी, जिसमें स्कूली छात्र-छात्राओं के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,जीविका दीदी, ग्राम पंचायत जनप्रतिनिधि यथा, मुखिया, सरपंच,वार्ड मेंम्बर, विकास मित्र, किसान मित्र, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक आदि भाग लेंगे। आगामी हर सप्ताह दो दिन स्कूलों द्वारा स्वच्छता जागरूता रैली निकाली जानी है।

स्कूलों में की जाने वाली गतिविधियां

- स्कूलों में प्रार्थना के उपरांत शिक्षकों दवारा स्वच्छता और शौचालय निर्माण संबंधी जानकारी रोचक तरीके से बताई जाएंगी। **जिद यात्रा, जिद अभियान, स्वच्छता संदेश** आदि आयोजनों के जरिये शिक्षक समुदाय को शौचालय निर्माण के प्रति प्रेरित करेंगे।
- अभियान के दौरान **स्कूल आधारित संपूर्ण स्वच्छता (एसएलटीएस)**के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
- जिन विद्यालयों में शौचालय नहीं है, वहां के शिक्षकों को संबंधित विद्यालय में शौचालय निर्माण अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना है। जिन विदयालयों में शौचालय हैं, उनकी स्वचछता एवं उपयोग के स्थायित्व सुनिश्चित करेंगे।

द्वितीय चरण: 25 से 29 जुलाई

4. जिला स्तरीय गतिविधि

- **जिला स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान** : वॉल पेंटिंग, वॉल राइटिंग एवं स्लोगन राइटिंग सूचना संप्रेषण का प्रभावी एवं टिकाउ तरीका है। 25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन जिला पदाधिकारी द्वारा जिला मुख्यालय पर स्वच्छता से संबंधित जिला स्तरीय वॉल पेंटिंग अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। सुविधानुसार जिला स्तर पर एक सार्वजनिक दीवार का चयनकर उसपर कुछ स्थानीय कलाकारों व छात्र-छात्राओं द्वारा स्वच्छता संबंधी चित्र बनवाए जाएंगे।
  पूर्व में की जाने वाली तैयारी: इस आयोजन से पूर्व जिला मुख्यालय पर गांव स्तर पर वॉल पेंटिंग, वॉल राइटिंग, स्लोगन राइटिंग को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि यह पता चल सके कि जिले के किन Non ODF गांवों में अब तक वॉल पेंटिंग/ वॉल राइटिंग/स्लोगन राइटिंग की गतिविधियां नहीं की गई हैं। इसके बाद उन्हें संतृप्त करने हेतु इस अभियान की विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी।
  मानक: प्रति गांव न्यूनतम दो वॉल पेंटिंग शौचालय तकनीक पर एवं दो वॉल पेंटिंग व्यवहार परिवर्तन संदेश से संबंधित, अधिकतम आवश्यकतानुसार। 15 अगस्त तक उपरोक्त अभियान को पूर्ण किया जाना है।

5. प्रखंड स्तरीय गतिविधि

- **प्रखंड स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान:** 25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड विकास पदाधिकारी वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान का शुभारंभ करेंगे। जिला स्तर पर तैयार रणनीति के आलोक में Non ODF ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू किया जाएगा। इसे 15 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है।

6.ग्राम स्तरीय गतिविधि

- **ग्राम पंचायत स्तरीय वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान:** उपरोक्त आलोक में 25 से 29 जुलाई के दौरान किसी एक दिन Non ODF ग्राम पंचायतों में व्यापक पैमाने पर वॉल पेंटिंग/वॉल राइटिंग अभियान शुरू किया जाना है। पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत के प्रमुख स्थलों पर दीवार चित्रण किया जाना है।
-

तृतीय चरण: 30 जुलाई से 15 अगस्त

7.जिला स्तरीय गतिविधि

- **स्वच्छता रथ का संचालन:** जिला स्तर पर स्वच्छता संबंधी व्यवहार परिवर्तन के प्रचार-प्रसार के लिए 30 या 31 जुलाई से 15 अगस्त तक स्वच्छता रथ का संचालन किया जाना है। 30 या 31 जुलाई को जिलाधिकारी स्वच्छता रथ का परिचालन का शुभारंभ करेंगे स्वच्छता रथ को ऑडियो-विजुअल प्रचार-प्रसार सुविधायुक्त किया जाना है।

पूर्व में की जाने वाली तैयारी: स्वच्छता रथ का रूट मैप तैयार करना एवं प्रभावी रणनीति बनाना।

- स्वच्छता रथ के संचालन के अवसर पर उन्मुखीकरण (Orientation) का आयोजन किया जाएगा, इसमें जिला पदाधिकारी द्वारा 30 या 31 जुलाई से हर प्रखंड पर शुरू होने वाले **'पर्याप्त स्वच्छाग्रही/राजमिस्त्री अभियान'** का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान की प्रखंडवार रणनीति पर चर्चा होगी। उन्मुखीकरण में प्रखंड विकास पदाधिकारियों को आगामी अभियान संबंधी आवश्यक जानकारी एवं रणनीति संबंधी दिशा-निर्देश दिया जाएगा। राजमिस्त्री एवं स्वच्छाग्रहियों को उनके दायित्व से अवगत कराया जाएगा।

पूर्व में की जाने वाली तैयारी: आयोजन के पूर्व ग्राम पंचायतवार स्वच्छाग्रही एवं राजमिस्त्री की उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वैसे Non ODF ग्राम पंचायत जहां स्वच्छाग्रही तैनात नहीं हैं या निष्क्रिय हैं, वहां के लिए प्रखंड स्तर पर स्वच्छाग्रही का चयन, प्रशिक्षण, तैनाती एवं उनके मानदेय भुगतान की रणनीति तैयार की जाएगी।

8.प्रखंड स्तरीय गतिविधि

- **पर्याप्त स्वच्छाग्रही/राजमिस्त्री अभियान**: खुले में शौच से मुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम स्वच्छता सेनानी होना आवश्यक है। जिन Non-ODF ग्राम पंचायतों में अब तक पर्याप्त संख्या में स्वच्छाग्रही उपलब्ध नहीं हैं या स्वच्छाग्रही क्रियाशील नहीं हैं, वहां सक्षम एवं प्रशिक्षित स्वच्छाग्रहियों की तैनाती करायी जानी है। इसके लिए 30 या 31 जुलाई से 15 अगस्त के दौरान अभियान चलाकर प्रखण्डवार आवश्यक संख्या में स्वच्छाग्रहियों का चयन एवं प्रशिक्षण कराकर तैनाती सुनिश्चित की जानी है। प्रति गांव न्यूनतम एक-एक स्वच्छाग्रही होने चाहिए। इसके अलावा हर ग्राम पंचायत में पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण एवं निगरानी समिति का गठन पूर्ण किया जाना है। मॉर्निंग इवनिंग फालोअप एवं निगरानी समिति में विभिन्न विभागों के कर्मी एवं पदाधिकारी का योगदान लिया जाना है। 30 या 31 जुलाई को जिला मुख्यालय पर जिला पदाधिकारी इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। 30 या 31 जुलाई से ही प्रखंड स्तर पर चयन व प्रशिक्षण का कार्य शुरू किया जाना है।
- **हर प्रखंड कार्यालय पर वॉर रूम :** हर प्रखंड कार्यालय पर एक वॉर रूम की स्थापना की जानी है। यह प्रखंड में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों, सूचना, निगरानी एवं रणनीति निर्माण का केंद्र होगा। आम लोगों की जानकारी व समस्या निराकरण एवं डाटा प्रविष्टि के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था की जानी है।
- **प्रखंड कार्यालय पर मॉडल शौचालय :** विकास खंड मुख्यालय पर आमजन के प्रदर्शन हेतु दो गड्ढे वाले जलबंध शौचालय का निर्माण कराया जाना है।

उपरोक्त तीनों अभियान 15 अगस्त तक पूर्ण किया जाना है।

9.ग्राम स्तरीय गतिविधि

- सतत व्यवहार परिवर्तन हेतु स्वच्छाग्रही, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत जन-प्रतिनिधि, विकास मित्र, किसान मित्र, इंदिरा आवास सहायक, टोला सेवक आदि गांवों में बैठक कर स्वच्छता के मुद्दे पर समूह वार्ता करेंगे। समुदाय को शौचालय निर्माण एवं इसके सतत उपयोग के बारे में जानकारी देंगे। जिनके यहां शौचालय नहीं है, उनके घर भ्रमण कर अंतर व्यैक्तिक संचार (IPC) कर शौचालय निर्माण एवं इसके सतत उपयोग के लिए प्रेरित करेंगे। विभिन्न विभाग के अधिकारियों/कर्मी द्वारा सुबह-शाम फालोअप एवं रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सतत व्यवहार परिवर्तन के लिए सूचना संचार शिक्षा (IEC) गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। IHHL इंट्री, भुगतान, जियो-टैगिंग, ODF वेरिफिकेशन, ODF घोषणा आदि में तेजी लाई जानी है।

10. **स्वच्छता सेनानी सम्मान समारोह :**

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को उपरोक्त अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वच्छाग्रही, विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मी, चैंपियन को जिलाधिकारी द्वारा **'स्वच्छता सेनानी सम्मान'** से सम्मानित किया जाना है।

11. **रिपोर्टिंग**

- राज्य मुख्यालय पर गूगल ड्राइव का एक लिंक बनाया गया है। इसमें हर जिले का फोल्डर है। संबंधित जिला हर उस फोल्डर में तिथि वार फोल्डर बना कर संबंधित तिथि में किए गए कार्यक्रम का फोटो एवं कार्यक्रम का प्रतिवेदन साझा करेंगे। इसका लिंक है–

  https://tinyurl.com/Convergence-for-Swachh-Bihar

विशेष जानकारी के लिए राज्य सलाहकार आई०ई०सी० सुमन लाल कर्ण एवं डॉ० झिनुक राय से संपर्क किया जा सकता है।